न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 41/2019 प्रा.पत्र (2019/00328)

अन्वान

1- शिवमोहन पिता स्व. कृष्णमोहन जी सक्सेना निवासी ए-17, बापूनगर सैंती चित्तौड़गढ़

2- भूरसिंह पिता लालसिंह जी राजपूत निवासी मंगोरडा

3- गंगाधरसिंह पिता लालसिंह जी राजपूत निवासी मंगोरडा

— प्रार्थीगण

बनाम

1- श्रीमती पार्वती पत्नी सुधीर कुमार सुखवाल निवासी तुलछामाता मन्दिर के पास किला चित्तौड़गढ़

2- सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत् रिलायजेशन रास्ता

उपस्थिति : 1- श्री संजय मोड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2- श्री सावन श्रीमाली अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

निर्णय   दिनांक 21/3/2022

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के ग्राम मंगोरडा पट. अमरपुरा स्थित कृषि आराजी नम्बर 178 रकबा 2.02 हे. पर आने जाने हेतु रास्ता चाहते बाबत् जिन्हे विपक्षीगण प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 RTA इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ... नं. 178 में पर पश्चिम दिशा आम रास्ते ... आराजी से हो...

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:48 IST
Reason: SelfAttested

....लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजी नम्बर 190, 185, 222 मे से होकर अपनी कृषि आराजी 178 मे पहुंचते है। मौके पर रास्ता बना हुआ है, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज नही है, जिसे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। विपक्षी ने हमसलाह होकर दिनांक 17/2/2019 को उक्त रास्ते के मध्य JCB से खड्डा खोद कर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया तथा उसमे आने-जाने के रास्ते को भी नष्ट करने पर आमदा है। जिससे प्रार्थी आने-जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने मे भारी समस्या आ रही है। प्रार्थी का अपनी आराजीयात पर आने जाने का और कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी रास्ते के रूप मे आने वाली कृषि आराजीयात का न्यायालय आदेशानुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने को तैयार व तत्पर है। अन्त मे 20 फीट चौडा रास्ता का मुआवजा निर्धारित कराया जाकर विपक्षी को [illegible] जाने व रास्ता राजस्व रेकार्ड दर्ज कराये जाने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसील से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

तहसील के जरिए पत्रांक/राजस्व/2019/1364 दिनांक 29/8/2019 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार, खसरा नं. 190 रकबा 0.49 हे. मे से 0.1740 हे. एवं खसरा नं. 222 रकबा 0.68 हे. मे से 0.1060 हे. कुल 0.28 हे. भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है जो खातेदार श्रीमती पार्वती पत्नी सुधीर कुमार सुखवाल विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। डी.एल.सी. दर 3690/- प्रति एयर से दुगुनी राशि 206640/- रूपये बनती है। [illegible] नाला बना है जिस पर मौके पर पुलिया बनी हुई है [illegible] आवागमन जारी है। नाले की जमीन [illegible] जो [illegible] है। खसरा नम्बर 165 भी चरागाह मे [illegible] 520 हे. भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है, जिसके बदले [illegible] खसरा नं. 178 भी

---- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मे से 0.0520 हे. भूमि चरागाह हेतु देने बाबत् सहमति प्रस्तुत की है।

अतः रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता विपक्षी सुनी गयी। अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी नम्बर 190, 185, 222 से होकर कृषि आराजीयात आ.नं. 178 पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नही है, और न ही प्रार्थी कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योंकि प्रार्थी की भूमि पर आराजी नम्बर 414 से लगा हुआ मुख्य रास्ता स्थित है, जो सीधा प्रार्थी की भूमि पर जाता है। चरागाह भूमि आराजी नं. 165 मी. मे किसी प्रकार का रास्ता स्थित नही है। चारागाह भूमि मे प्रार्थी रास्ता कायम कराने का अधिकार नही रखता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण की लिखित बहस का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर चिन्तन मनन किया। तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि मे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। धारा 251 ए आर. टी. ए. के तहत चरागाह भूमि से रास्ता दिलाये जाने के प्रावधान नही है। चरागाह भूमि से रास्ता दिए जाने सम्बन्धी प्रकरण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)